



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**विज्ञापित संख्या - 53/2016**

सेन्दूल सेक्टर स्कॉलरशीप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2013 एवं 2014 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण वैसे छात्र/छात्रा इसके पात्र होंगे जिन्हें Fresh की राशि प्राप्त हुई हो। इन छात्र/छात्राओं से 1<sup>st</sup> Renewal हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक परिषद् के website [www.jac.jharkhand.gov.in](http://www.jac.jharkhand.gov.in) से आवेदन Download कर पूर्ण रूप से भरते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 30.09.2016 तक सीधे परिषद् कार्यालय में अथवा निबंधित डाक से निश्चित रूप से जमा कर दें।

छात्र-छात्राओं को आवेदन के साथ स्वअभिप्रेमाणित निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।

1. Postal Address
2. Joining Report (स्नातक स्तरीय)
3. Caste Certificate
4. Details of Aadhar Card
5. Details of Bank Account with IFSC Code
6. Income Affidavit (10/- Rs. Non (Judicial Stamp)
7. Proof of Previous Scholarship
8. Marks Sheet (इंटरमीडिएट एवं स्नातक स्तरीय)

**Note:-**

1. Correspondence Course इस योजना के अन्तर्गत अनुमान्य नहीं है।
2. दिनांक 30.09.2016 के बाद Renewal हेतु प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

**नोट:- वित्तीय वर्ष 2016-17 से सभी प्रकार के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के पास आधार होना आवश्यक है एवं आधार का बैंक से Seeding आवश्यक है।**

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकांत वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/CSSS/794/15/SECY/325/16

Dt. 08.09.16

D.O.P : 09.09.16